एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7085/2002

28.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री महेश गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री रिनेश गुप्ता वास्ते श्री ए.के.गुप्ता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से।

याची ने इस रिट याचिका के माध्यम से अपने विरुद्व तहसीलदार जोन ए-2 विघाधर नगर जयपुर द्वारा पुलिस थाना विघाधर नगर जयपुर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 234/2002 दिनांक 6.9.2002 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। उनके इस कथन के परिपेक्ष्य में यह रिट याचिका निरर्थक हो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

मोहम्मद रफीक
न्यायाधिपति